अनुदान संख्या 60 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय
GRANT No. 60 – MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged–*			*3,00*	..	*-3,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*3,00*
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	2193,36,00		2310,16,00	2270,55,10	- 39,60,90
पूरक	Supplementary	116,80,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11,21,83
पूंजीगत:	**Capital :**					
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	544,00,00		544,01,00	354,71,00	-189,30,00
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					181,57,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹3.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹3960.90 लाख) दिसंबर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹11680.00 लाख की पूरक अनुदानों का 34 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹3.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹3960.90 lakhs) constituted 34 percent of the supplementary grants of ₹11680.00 lakhs obtained in December, 2012 and March 2013 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat-Social Services				
मू.	O.	12699.00	10325.67	8371.56	-1954.11
पु.	R.	-2373.33			
मुख्य शीर्ष "2220" सूचना और प्रचार	Major Head "2220" Information and Publicity				
मू.	O.	46428.00	45999.15	45132.83	-866.32
पू.	S.	462.00			
पु.	R.	- 890.85			
मुख्य शीर्ष "2221" प्रसारण	Major Head "2221" Broadcasting				
मू.	O.	157437.00	172900.00	172900.00	..
पू.	S.	11208.00			
पु.	R.	4255.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	2105.00	..	..	..
पू.	S.	10.00			
पु.	R.	-2115.00			

(I) ₹5016.00 लाख का प्रावधान (₹10.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) सत्ताईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹4250.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹5016.00 lakhs (including supplementary grant of ₹10.00 lakhs) remained wholly unutilised under twenty seven heads; of these ₹4250.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2251" - "अन्य व्यय" -

(A) Major Head "2251" – "Other Expenditure" –

(क) “राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन” - ₹2000.00 लाख वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण थे।

(a) “National Film Heritage Mission” – ₹2000.00 lakhs – due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) “डिजीटलाईजेशन संवर्धन के लिए आई ई सी कार्यकलाप” - ₹300.00 लाख;

(b) “IEC activities for promoting Digitilization” – ₹300.00 lakhs;

(ग) “मंत्रालय अवसंरचना सहायता प्रकोष्ठ” - ₹200.00 लाख;

(c) “Infrastructure Support Cell in the Ministry” – ₹200.00 lakhs;

(घ) “डीजिटल वायर लाइन प्रसारण में केवल टी वी उद्योग कार्मिकों का क्षमता निर्माण” - ₹200.00 लाख; और

(d) “Capacity building of Cable TV Industry personnel in Digital wire line Broadcasting” – ₹200.00 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” -

(B) Major Head “2552” –

(क) “सचिवालय - सामाजिक सेवाएं - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर/जम्मू और कश्मीर और अन्य चिह्नित क्षेत्रों को विकास सहायता” - ₹150.00 लाख।

(a) “Secretariat – Social Services – Other Expenditure – Development Support to NE/J&K and other Identified Areas” – ₹150.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilized due to non-approval of the schemes.

(ख) “अन्य (सूचना और प्रचार) - जन संचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण - भारतीय जन संचार संस्थान” - ₹10.00 लाख का पूरक प्रावधान;

(b) “Others (Information and Publicity) Research and Training in Mass Communication – Indian Institute of Mass Communication” – supplementary provision of ₹10.00 lakhs;

(ग) “अन्य (सूचना और प्रचार) - विज्ञापन और दृश्य प्रचार - विज्ञापन और दृश्य प्रचार महानिदेशालय” - ₹1100.00 लाख;

(c) “Others (Information and Publicity) – Advertising and Visual Publicity – Directorate of Advertising and Visual Publicity” - ₹1100.00 lakhs;

(घ) “अन्य (सूचना और प्रचार) प्रेस सूचना ब्यूरो” - ₹170.00 लाख; और

(d) “Others (Information and Publicity) – Press Information Bureau”- ₹170.00 lakhs; and

(ङ) "सचिवालय - सामाजिक सेवाएं - अन्य व्यय - विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण" - ₹120.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "भारतीय सिनेमा को भारत और विदेश में फिल्म समारोह और फिल्म बाजार के माध्यम से संवर्धन" - ₹180.24 लाख की बचत (₹1380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित लागत अनुमानों का मूल्यनिर्धारण और अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण" - ₹663.51 लाख की बचत (₹3200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अनुमोदन में विलंब होने, कम संख्या में फिल्मों का निर्माण होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता" - ₹320.18 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों के सामुदायिक रेडियो सहायता प्रणाली घटक को अनुमोदन प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2220" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "फिल्में" -

(e) "Secretariat – Social Services - Other Expenditure – Production of film in various Indian Languages" - ₹120.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" –"Other Expenditure"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Promotion of Indian Cinema through Film Festivals and Film Markets in India and Abroad" - saving of ₹180.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1380.00 lakhs) was due to non-receipt of appraisal and approval of the revised cost estimates.

(B) "Production of Films and Documentaries in various regional languages"- saving of ₹663.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3200.00 lakhs) was due to delay in approval of the scheme, production of less number of films and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Supporting Community Radio movement in India"- saving of ₹320.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was due to non-approval of Community Radio Support System component of the schemes and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "2220" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Films" –

(क) "फिल्म निर्माण - फिल्म प्रभाग" - ₹234.88 लाख की बचत (₹3818.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अन्य व्यय - भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार" - ₹159.69 लाख की बचत (₹668.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य" -

(क) "प्रेस सूचना सेवाएं - प्रेस सूचना ब्यूरो" - ₹644.39 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5363.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अनुमोदन दिए जाने में विलंब होने की वजह से लोक सूचना अभियानों का आयोजन न किए जाने, कम मुद्रण कार्य, कम दौरे किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "क्षेत्र प्रचार - क्षेत्र प्रचार निदेशालय" - ₹538.26 लाख की बचत (₹5007.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) "गीत और नाटक सेवाएं - गीत और नाटक प्रभाग" - ₹231.98 लाख की बचत (₹3044.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अनुमोदन विलंब से प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(a) "Production of Films – Films Division" - saving of ₹234.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3818.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(b) "Other Expenditure – National Film Archive of India"- saving of ₹159.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹668.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(B) "Others" –

(a) "Press Information Services – Press Information Bureau" – saving of ₹644.39 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5363.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) was due to conduction of less number of Campaigns owing to delay in approval of scheme, less printing work, less tours undertaken and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Field Publicity – Directorate of Field Publicity" – saving of ₹538.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5007.00 lakhs) was due to non-approval of the schemes, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(c) "Song and Drama Services – Song and Drama Division" – saving of ₹231.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3044.00 lakhs) was due to late approval of the scheme.

(घ) "रोजगार समाचार - रोजगार समाचार सेवाएं" - ₹684.34 लाख की बचत (₹2690.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार के प्रचलन में कमी आने, रिक्त पदों को न भरे जाने, मुद्रण आदेशों में कमी आने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(d) "Employment News – Employment News Services" – saving of ₹684.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2690.00 lakhs) was due to decrease in circulation of Employment News/Rozgar Samachar, non-filling up of vacant posts, decrease in print orders and economy measures.

(IV) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹281.02 लाख की बचतें हुईं जो ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक थीं।

(IV) Under four heads savings of ₹281.02 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 12 percent to 90 percent of the sanctioned provision.

3. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4952.40 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹11209.00 लाख का पूरक अनुदान प्रदान करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

3.(I) The above savings were partly (₹4952.40 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹11209.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2220" - "फिल्में - अन्य व्यय" -

(A) Major Head "2220" – "Films – Other Expenditure" -

(क) "बाल फिल्म सोसाइटी" - ₹58.80 लाख।

(a) "Children's Film Society" – ₹58.80 lakhs.

(ख) "भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, पुणे" - ₹433.80 लाख।

(b) "Film and Television Institute of India, Pune" – ₹433.80 lakhs.

(ग) "सत्यजीत राय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता" - ₹200.80 लाख।

(c) "Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata" – ₹200.80 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2221" - "सामान्य - प्रसार भारती को अनुदान - प्रसार भारती" - ₹4259.00 लाख।

(B) Major Head "2221"- "General – Grants to Prasar Bharti – Prasar Bharti"- ₹4259.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2220" - "अन्य - विज्ञापन और दृश्य प्रचार - विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹145.88 लाख का अधिक व्यय (₹16633.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय सरकार कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए श्रव्य दृश्य अभियान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2220" - "Others - Advertising and Visual Publicity – Directorate of Advertising and Visual Publicity" - excess of ₹145.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16633.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards audio visual campaign for awareness about

पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के लिए कारण हुआ।

the Central Government Welfare Schemes and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष “4220” सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head“4220” Capital Outlay on Information and Publicity				
मू.	O.	7050.00			
पू.	S.	1.00	2894.00	2121.00	-773.00
पु.	R.	– 4157.00			
मुख्य शीर्ष “6221” प्रसारण के लिए कर्ज	Major Head “6221” Loans for Broadcasting				
मू.	O.	40100.00	33350.00	33350.00	..
पु.	R.	-6750.00			
मुख्य शीर्ष “6552” उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को कर्ज	Major Head “6552” Loans for North Eastern Areas				
मू.	O.	7200.00	..	..	..
पु.	R.	- 7200.00			

(I) ₹10900.00 लाख का प्रावधान पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹10550.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹10900.00 lakhs remained wholly unutilised under fifteen heads; of these ₹10550.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “4220” -

(A) Major Head “4220” –

(क) “फिल्में” -

(a) “Films” –

(i) "मशीनरी और उपस्कर" -

(1) "भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान के लिए उपस्करों का अधिग्रहण" - ₹600.00 लाख;

(2) "सीबीएफसी के कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली और प्रमाणीकरण प्रक्रिया का आधुनिकीकरण की स्थापना के लिए उपस्करों का अधिग्रहण" - ₹150.00 लाख;

(ii) "अन्य भवन" -

(1) "सीबीएफसी की अवसंरचना का उन्नयन और विस्तार" - ₹120.00 लाख;

(2) "फिल्म प्रभाग के भवन अवसंरचना का उन्नयन" - ₹200.00 लाख;

(3) "जयकार बंगला सहित एनएफएआई के अवसंरचना का उन्नयन और डिजीटल पुस्तकालय की स्थापना" - ₹300.00 लाख;

(4) "एसआरएफटीआई में अवसंरचना विकास" - ₹700.00 लाख;

(ख) "अन्य" -

(i) "मशीनरी और उपस्कर - भारतीय जन संचार संस्थान के लिए उपस्करों का अधिग्रहण" - ₹160.00 लाख;

(ii) "भवन" -

(i) "Machinery and Equipments"-

(1) "Acquisition of Equipments for Film and Television Institute of India" – ₹600.00 lakhs;

(2) "Acquisition of Equipments for Establishment of Computerised Management System and Modernisation of Certification Process of CBFC" – ₹150.00 lakhs;

(ii) "Other Buildings"-

(1) "Upgradation and Expansion of Infrastructure of CBFC" – ₹120.00 lakhs;

(2) "Upgradation of building infrastructure of Films Division" – ₹200.00 lakhs;

(3) "Upgradation of infrastructure of NFAI including Jayakar Bungalow and setting up of digital library"- ₹300.00 lakhs;

(4) "Infrastructure development in SRFTI" – ₹700.00 lakhs;

(b) "Others" –

(i) "Machinery and Equipments – Acquisition of Equipments for Indian Institute of Mass Communication" – ₹160.00 lakhs;

(ii) "Buildings" -

(1) “भारतीय जन संचार संस्थान की भवन और आवास परियोजना” - ₹920.00 लाख; और

(2) “डीएफपी के राज्यों में केंद्रीय सूचना भवन” - ₹200.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “6552” - “प्रसारण के लिए कर्ज - प्रसार भारती के लिए कर्ज - प्रसार भारती” - ₹7200.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “4220” - “अन्य” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “भवन - सूचना भवन” - ₹643.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना भवन, नई दिल्ली के निर्माण की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) “निगरानी सेवाएं - इलेक्ट्रानिक्स मीडिया निगरानी केंद्र” - ₹914.00 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अनुमोदन विलंब से दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “6221” - “प्रसार भारती को कर्ज - प्रसार भारती” के अंतर्गत ₹6750.00 लाख की बचत (₹40100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹744.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसंबर, 2012 में मुख्य शीर्ष “4220” - “अन्य -

(1) “Building and Housing Project of Indian Institute of Mass Communication” – ₹920.00 lakhs; and

(2) “Kendriya Soochna Bhawan in States of DFP” – ₹200.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained untuilised due to non-approval of the schemes.

(B) Major Head “6552” – “Loans for Broadcasting – Loans to Prasar Bharati – Prasar Bharati” – ₹7200.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “4220” – “Others” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Buildings – Soochna Bhawan” - saving of ₹643.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to slow progress in construction of Soochna Bhawan, New Delhi.

(B) “Monitoring Services – Electronic Media Monitoring Centre” - saving of ₹914.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to late approval of scheme.

(III) Under Major Head “6221” - “Loans to Prasar Bharati”- Prasar Bharati” - saving of ₹6750.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40100.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

5. The above savings were partly (₹744.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament

भवन - राष्ट्रीय प्रेस केंद्र और प्रेस सूचना ब्यूरो का मिनि मिडिया केंद्रों की स्थापना" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹277.00 लाख था।

while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2012 under Major Head "4220" – "Others – Buildings – Setting up of National Press Centre and Mini Media Centres of Press Information Bureau". Actual excess, however, was ₹277.00 lakhs.